शिक्षा का अधिकार और बाल-मज़दूर

2001 की जनगनना के मुताबिक देश में बाल मज़दूरों की संख्या लगभग सवा करोड़ है, जबकि गैर सरकारी संस्थाओं के मुताबिक यह संख्या दो करोड़ नब्बे लाख है। यह माना जाता है कि भारत में 14 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी पूरी अमरीकी आबादी से भी ज़्यादा है। भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 3.6 फीसदी हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है। हमारे भारत देश में हर दस बच्चों में से 9 बच्चे काम करते हैं।

ये बच्चे लगभग 85 फीसदी पारम्परिक कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं, जबकि 9 फीसदी से कम उत्पादन, सेवा और मरम्ती कार्यों में लगे हैं। सिर्फ 0.8 फीसदी कारखानों में काम करते हैं। अकेले मध्यप्रदेश में लगभग दस लाख बाल मज़दूर हैं। मतलब 10 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, बेहतर शिक्षा से वंचित हैं और शारीरिक-मानसिक विकास से भी। देश के चौदह वर्ष तक के हर बच्चे को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह संविधान का सीधे-सीधे मखौल उड़ाने वाला प्रहसन भी है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित एक महत्त्वपूर्ण घोषणा पत्र जारी किया था। उसके तीन मुख्य बिंदु थे-बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और बालश्रम को दूर कर संरक्षण की व्यवस्था। लेकिन इस घोषणापत्र के लगभग 17 साल पूरे हो जाने के बाद भी स्थितियों में कोई खास सुधार नहीं आ पाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बाल मज़दूरी में लगे बच्चों को न छुड़ा पाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दिल्ली सरकार की तरफ से पेश रिपोर्ट पर असंतुष्टि जताते हुए फिर से रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

मुख्य न्यायाधीश डी मुरूगेसन व न्यायमूर्ति वीके जैन की खंडपीठ ने सरकार के चाईल्ड लेबर कमीश्नर को निर्देश दिया है कि न्यायालय ने इस संबंध में 15 जुलाई 2009 को आदेश दिया था कि हर महिने पांच सौ बच्चे छुड़ाए जायें और उनका पुर्नवास किया जाय। बाल मज़दूरी कराने वाले मालिकों से प्रति बच्चे बीस हजार रुपये वसूले जायें और इस राशि को बच्चों के पुर्नवास के लिये प्रयोग किया जाय। साथ ही, यह रिपोर्ट दायर करके बताया जाए कि वर्ष 2009 से अब तक कितने बच्चों को दिल्ली में बाल मज़दूरी से मुक्त कराया जा चुका है, कितने बच्चों का पुनर्वासय हुआ है और बाल मज़दूरी कराने वाले कितने मालिकों के खिलाफ़ कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

साथ ही कहा है कि बच्चों को छुड़ाने की प्रक्रिया को तेज किया जाय। अब इस मामले में एक मई को सुनवाई होगी। बाल श्रम आयुक्त ने अदालत में एक हलफनामा दायर करके बताया था कि उनके विभाग ने वर्ष 2012 में कुल 682 बच्चों को छुड़ाया था। इतना ही नहीं खुद विभाग मान रहा है कि दिल्ली में लगभग 18,500 बच्चे बाल मज़दूरी में लगे हैं।

दरअसल बाल मज़दूरी का प्रश्न इस सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त तथ्यों से यह जाहिर होता है कि नग्न पूंजीवादी शोषण पर टिकी इस व्यवस्था के रहते कानून बनाने और न्यायिक सक्रियता के बूते पर बाल मज़दूरी खत्म नहीं की जा सकती।

-शैलेन्द्र चौहान

बी.के अस्पताल का फर्श नहीं प्रशासन धोने की जरूरत

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 22 जून को बारह बजे जब यह संवाददाता इत्तफ़ाक से बी.के. अस्पताल पहुंचा तो सारे फ़र्श पर जगह-जगह पानी भरा खड़ा था। इससे कुछ जगह कीचड़ भी था। दो मरीज़ों को फ़िसल कर गिरते देखा तो एक कर्मचारी ने बताया कि सुबह 8 बजे जब फ़र्श की धुलाई हो रही थी तो मरीज़ों की भारी भीड़ थी और अनेकों मरीज फ़िसल-फिसल कर गिरे थे। इस धुलाई के चलते अफ़रा-तफ़री का माहौल बना हुआ था जिससे न केवल मरीज़ बल्कि तमाम डाक्टर व अन्य स्टाफ़ भी परेशान रहा।

सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि फ़र्श की धुलाई से ये सभी लोग परेशान थे। परेशानी का कारण था कि यह सफ़ाई अभियान की बजाये पी.एम.ओ. डाक्टर ओ.पी. मेहता द्वारा प्रायोजित प्रदर्शन अभियान था, मीडिया में फोटो खिचवाने के साथ-साथ अपने कुकर्मों व अस्पताल में फ़ैली अव्यवस्था पर पर्दा डालने का अभियान था।

इस अभियान के तहत स्थानीय भाजपा नेत्री सीमा त्रिखा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने करीब 8 बजे से 10 बजे तक अस्पताल के चारों तलों की धुलाई का कार्य किया। तमाम डाक्टरों व स्टाफ़ के न चाहते हुए भी डाक्टर मेहता ने यह अभियान प्रायोजित किया था। तमाम स्टाफ़ का कहना था कि अस्पताल में 89 सफ़ाई कर्मचारियों का स्टाफ़ है जो रोज़ाना बेहतर सफ़ाई कर सकता है, यदि डाक्टर मेहता करने दे तो। इसके बावजूद भी यदि मेहता ने यह ड्रामेबाज़ी करनी ही थी तो प्रात: 8 से 2 बजे, जो बाहरी मरीज़ों के आने का समय होता है, जिसमें अधिकतम भीड़ होती है, के बीच करने की क्या जरूरत थी? यह सफ़ाई इसके आगे पीछे भी तो की जा सकती थी।

दरअसल इस ड्रामेबाज़ी का असल मकसद सफ़ाई करना था ही नहीं। इसका असल मकसद तो भीड़ के सामने अपने पाखंड का प्रदर्शन करना था, भीड़ के बिना तो यह सब बेकार था। न पत्रकार आते न फ़ोटो खिंचते न कोई बयानबज़ी होती न मरीज़ों को भाजपा व डा. मेहता की इस महान उपलब्धि का पता चलता।

इस सारे जनविरोधी अभियान का दुखद पहलू सीमा त्रिखा जैसी पढ़ी-लिखी, ईमानदार एवं स्वच्छ छवि की नेत्री का जुड़ना है। वे जिस तरह से मेहता की मोहरा बनी, इसकी अपेक्षा न थी। सर्वविदित है कि डा. मेहता कोई मामूली भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि महाचोर, नालायक, घटिया व जलील किस्म का आदमी है। उसे अस्पताल में होने वाले हर काम में रिश्वत एवं कमीशन चाहिये। कैजुअल्टी में आने वाले हर पुलिस केस में जब तक इसे पैसे न मिल जायें कोई काम नहीं हो सकता। बिना रिश्वत या मोटी सिफ़ारिश के यह किसी को अस्पताल में दाखिल न होने दे। कोई दिन खाली जाता होगा जिस दिन यहां कोई न कोई कांड न होता हो। हर कांड की जांच का आश्वासन देकर उसे दबा दिया जाता है।

ऐसा नहीं है कि मेहता की इन कारस्तानियों से स्थानीय सत्तारूढ विधायक, मंत्री और सांसद वाकिफ़ नहीं हैं, वे सब जानते हैं, परन्तु मेहता के 'सेवा भाव' ने सब को खरीद रखा है। मजबूत विपक्षी पार्टी होने के नाते, मेहता की खिंचाई की जो थोड़ी-बहुत उम्मीद भाजपा से थी, अब वह भी जाती रही। सीमा त्रिखा यदि फ़र्श की धुलाई की अपेक्षा मेहता की धुलाई करती तो शहर की जनता को कहीं ज़्यादा लाभ हो सकता था।

तुर्की-ब-तुर्की

"राहुल (गांधी) स्वाभाविक नेता हैं।"

-मनमोहन सिंह
प्रधान मंत्री

हमारा कहना है-

- इस देश में स्वाभाविक नेता और स्वाभाविक अभिनेता वही लोग होते हैं जिनके मां-बाप राजनीति और फ़िल्म जगत के बड़े खिलाड़ी हों। इस लिहाज से तो राहुल गांधी स्वाभाविक नेता कहलायेंगे ही। साथ ही समय समय पर गांधी परिवार के प्रति अपनी स्वामीभक्ति दिखाते रहने की आपकी जरुरत को भी आपका यह बयान खाद-पानी देता है।

- एक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में जब आप जैसा कठपुतला 9 वर्ष से सरकार का 'नेतृत्व' चला रहा है, तो राहुल गांधी जैसा अपनी मर्जी का मालिक भला नेता क्यों नहीं कहला सकता।

- लगे हाथ आप यह भी बता देते कि 125 वर्ष से अधिक पुरानी कांग्रेस पार्टी में एक परिवार को छोड़कर कोई और स्वाभाविक नेता क्यों नहीं आ पा रहा? बार-बार चुनावी दुर्गति के बावजूद नेता भी उसी परिवार से चलता रहता है और युवराज भी उसी परिवार से बनाये जाते हैं।

- मनमोहन सिंह जी, क्या आप यह बताना चाहेंगे कि 9 वर्ष तक देश का प्रधान मंत्री रहने के बावजूद आप में नेता होने का एक भी लक्षण प्रगट क्यों नहीं हुआ?
यहां तक कि आप में इतनी हिम्मत भी नहीं आई कि आप कम से कम एक बार तो बतौर प्रधान मंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ लेते और इस तरह कुछ दिनों के लिये ही सही, एक निर्वाचन क्षेत्र की जनता से ही, आपका जन-तालमेल देखने को मिल पाता।

"नरेन्द्र मोदी एक तानाशाह है और राजनाथ सिंह ज्योतिष के दम पर प्रधानमंत्री बनने में लिप्त एक चालाक लोमड़ी।"

- सुधीन्द्र कुलकर्णी
पूर्व संघ
विचारक एवं आडवाणी भगत

हमारा कहना है-

- आपने सही पकड़ा कुलकर्णी जी। स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने घाघ होने के नाते भला आप से बेहतर मोदी और राजनाथ सिंह की चालों को कौन पहचान पायेगा। जाहिर है, यदि प्रधानमंत्री बन पाने की नौबत आ ही गयी तो मोदी और राजनाथ के बीच छुरेबाज़ी उसी शिद्दत से होगी जिस तरह आज गलेबाज़ी होती है।

- आपको भाजपा में आडवाणी के भक्त के रुप में देखा जाता है। अटल बिहारी बाजपयी के प्रधानमन्त्रित्व काल में आपको प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी का दर्जा आडवाणी के दबाव में ही मिला हुआ था। उस दौर में भी आप ने आडवाणी के प्रति अपनी स्वामीभक्ति हमेशा निभाई, बेशक वाजपयी और उनके दरबारी इस लिये आपको शक की निगाहों से देखा करते थे। आपको क्यों प्रधानमंत्री कार्यालय में रखा गया था, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। उस दौर की 'चालाक लोमड़ी' का पूरा नाम था लाल कृष्ण आडवाणी।

- मोदी की तानाशाही और राजनाथ का लोमड़ीपना क्या तभी से हैं जब से उन्होंने आडवाणी को किनारे लगाया? अन्यथा इससे पहले आपने भी इन 'महानुभावों' के लिये इन विशेषणों का प्रयोग कभी नहीं किया। सभी को पता है कि आपके मुंह में ये शब्द आडवाणी के ही दिये हुए हैं। राजनीति में मेल-मिलाप और छूट-छुटाव चलते रहते हैं। देखते हैं आपकी, यानी आडवाणी की नज़र में मोदी और राजनाथ कब तक क्रमशः तानाशाह व चालाक लोमड़ी बने रहते हैं।

- सुधीन्द्र कुलकर्णी जी, आपको यह भी बताना चाहिये था कि जब आडवाणी जी के नेतृत्व में हर चुनाव भाजपा हार रही हो तो अब पार्टी का किसी अन्य की तरफ देखना तर्कसंगत क्यों नहीं है? काठ की हांडी तो एक साधारण व्यक्ति भी बार-बार आग पर चढाने का जोखिम नहीं लेता। भाजपा तो फ़िर सत्तालोलुपों का एक शातिर समूह है।